रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 1972/चैत्र 4, 1894

No. 89] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 1972/CHAITRA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

FOREIGN TRAVEL TAX

New Delhi, the 24th March 1972

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following classes of persons from the whole of the foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 45 of the said Act in respect of every international journey, undertaken in the official capacity, by any person of such class, namely:—

(i) the President of India;

(ii) the Vice-President of India;

(iii) the Prime Minister of India;

(iv) a Minister as defined in section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952);

(v) a person accompanying, in such international journey, the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India or a Ministe[r]

[No. 4-FTT/72/F. No. 306/4/72-FTT/CXP

R. K. THAWANI, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1972

सा०का०नि० 208(अ)—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को, ऐसे वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा, अपनी पदीय हैसियत में की गई, प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त विदेश यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है, अर्थात् :—

(i) भारत के राष्ट्रपति;

(ii) भारत के उप-राष्ट्रपति;

(iii) भारत के प्रधान मंत्री;

(v) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 2 में यथा परिभाषित कोई मंत्री;

(iv) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री या किसी मंत्री के साथ ऐसी यात्रा में जाने वाला कोई व्यक्ति ।

[सं० 4–वि०या०क०/72–फा० सं० 306/4/72–वि०या०क०/सी०एक्स 9]

आर० के० थावामी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972